परिशिष्ठ-1 (पृष्ठ 11 से 37)

Rajasthan Technical University, Kota

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा

Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010

Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

चतुर्थ वित्त समिति दिनांक 30 मार्च 2010 की मिटिंग का कार्यवाही विवरण एवं उपस्थित सदस्यों की सूची।

1	डॉ. पी.एल. अग्रवाल कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	अध्यक्ष
2	श्री अचलेश्वर मीणा (प्रतिनिधि) प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
3	श्री आर.के. गुप्ता प्रमुख शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
4	प्रो. डी. एम. मेहता प्रति कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5	श्री अम्बरीश मेहता कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
6	प्रो. अनिल के. माथुर परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
7	श्री पदमचन्द वित्त अधिकारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य सचिव

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

वि.स.क्र. 4.1 : **वित्त समिति की तृतीय बैठक का कार्यवाही विवरण :–**

तृतीय वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/FC/09/2014-17 दिनांक 21.03.2009 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 15 से 22 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तृतीय वित्त समिति के बिन्दु संख्या 3.1 के (i) (ii) व (iii) में जिन समितियों का गठन किया गया था उन समितियों से 2 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया। कार्यवाही विवरण के शेष बिन्दुओं की समिति द्वारा पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 4.2 : द्वितीय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2008 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।

द्वितीय वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.03.2008 में लिये गये निर्णयों का अनुपालना (क्रियान्विति) प्रतिवेदन वित्त समिति की अनुशंषाओं का अनुमोदन प्रबन्ध बोर्ड से न होने के कारण तृतीय वित्त समिति में नहीं रखा गया था। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार द्वितीय वित्त समिति में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों ने द्वितीय वित्त समिति की अनुपालना प्रतिवेदन का अवलोकन किया। वित्त समिति क्रमांक 2.9 में गठित परामर्श शुल्क एवं परीक्षण शुल्क के नियमों की समीक्षा हेतु गठित समिति को दो माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया।

वित्त समिति क्रमांक 2.11 में फर्नीचर आपूर्तिकर्ता फर्म को 15 दिवस में भुगतान जारी करने के निर्देश दिये गये।

वित्त समिति क्रमांक 2.14 एवं 2.15 में स्वावित्त पोषित पाठ्यक्रमों बाबत गठित समिति को दो माह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया।

वित्त समिति क्रमांक 2.19 में कोरपस फण्ड (CORPUS FUND) के सम्बन्ध में गठित समिति को भी दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया।

वित्त समिति क्रमांक 2.21 में परीक्षा नियन्त्रक को दो माह में अन्य तकनीकी विश्वविद्यालयों की परीक्षा कार्यो की दरों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया गया।

वित्त समिति क्रमांक 2.22 में Table Agenda के सम्बन्ध में गठित समिति को नोटिस दिये जाने का निर्णय लिया गया कि समिति अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने का कारण स्पष्ट करें तथा रिपोर्ट 1 माह में कुलपति महोदय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

चतुर्थ वित्त समिति ने द्वितीय वित्त समिति की अनुपालना रिपोर्ट के शेष बिन्दुओं का अवलोकन कर अनुमोदन किया।

वि.स.क्र. 4.3 : तृतीय वित्त समिति की बैठक दिनांक 13.03.2009 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।

तृतीय वित्त समिति की सिफारिशों का अनुमोदन प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाना था किन्तु प्रबन्ध मण्डल की बैठक न होने के कारण अनुमोदन नहीं हो सका। माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार तृतीय वित्त समिति की सिफारिशों का पालना प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

चतुर्थ वित्त समिति ने वित्त समिति क्रमांक 3.1 में गठित समितियों को तथा परीक्षा नियन्त्रक को अपनी रिपोर्ट दो माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया तथा शेष बिन्दुओं की पालना पर सन्तोष प्रकट करते हुए अनुमोदन किया।

वि.स.क्र. 4.4 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय का वर्ष 2010–11 का बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2009–10 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2009–10 का अनुमानित (व्यय) बजट 2620.15 लाख रूपये तृतीय वित्त समिति की बैठक में स्वीकृत किया गया था। वर्ष 2009–10 का संशोधित व्यय बजट 2527.21 लाख रूपये एवं वर्ष 2010–11 का अनुमानित बजट (व्यय) 3866.67 लाख रूपये तथा स्वीकृत (आय) बजट अनुमान 2009–10 हेतु रू. 2730.20 लाख रू. के स्थान पर सशोधित बजट (आय) अनुमान 2973.65 लाख रू. तथा वर्ष 2010–11 हेतु अनुमानित बजट (आय)

2981.04 लाख रू. परिशिष्ट–2 पृष्ठ संख्या 23 से 37 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति ने आवश्यक संशोधन सहित बजट प्रस्तावों का अनुमोदन किया। आवश्यक संशोधन उपरान्त बजट प्रपत्र संलग्न है।

वि.स.क्र. 4.5 : आयोजना भिन्न बजट वर्ष 2009–10 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में आयोजना भिन्न बजट में संवेतन मद में राशि रूपये 565 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2009–10 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–3 पृष्ठ संख्या 38 से 40 पर उपलब्ध है। स्वीकृत राशि में से राज्य सरकार से अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। स्वीकृत राशि प्राप्त न होने के कारण संवेतन मद में होने वाला व्यय विश्वविद्यालय की निजी आय से समायोजित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 4.6 : आयोजना बजट वर्ष 2009–10 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में 95 लाख रूपये आयोजना मद में स्वीकृत किये गये थे। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2009–10 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–4 पृष्ठ संख्या 41 से 42 पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा आयोजना बजट निर्णायक समिति की बैठक दिनांक 15.01.2010 में आयोजना मद की पुनः निर्धारित राशि 10 लाख प्राप्त हो चुकी है। पूर्व में आयोजना मद में राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में फरवरी 2009 तक 55.90 लाख रूपये व्यय किया जा चुका है। अतः अन्तर राशि निजी आय से समायोजित किये की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 4.7 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के मध्य MOU

दिनांक 20.03.2009 को राज्य सरकार एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के मध्य एक MOU हस्ताक्षर हुआ है जिसकी प्रति परिशिष्ट 5 पृष्ठ संख्या 43 पर समिति के सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा अवलोकन उपरान्त अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 4.8 : एम.टेक. पाठ्यक्रम में छात्रों को छात्रवृत्ति/विशेषज्ञ लेक्चर के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में अकादमिक वर्ष 2009–10 से पांच संकायों में एम.टेक का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। निदेशक (यू.सी.ई.) के आदेश क्रमांक F101/3(2.2)/10/5706-21 दिनांक 13.01.2010 द्वारा अध्ययनरत छात्रों को निम्नानुसार छात्रवृत्ति (अध्यापन सहायता) के रूप में प्रदान की जा रही हैं।

A) Rs 7000/- Per Month for candidate with valid GATE score.
B) Rs 6000/- Per Month for candidate without valid GATE score.

एम.टेक. पाठ्यक्रम के लिए गठित समिति के निर्णयानुसार विशेषज्ञ लेक्चर हेतु रू. 1000/– प्रति घण्टा की दर से मानदेय दिया जाना है जो परिशिष्ट 6 पर पृष्ठ संख्या 44 से 46 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति ने प्रस्तावित छात्रवृत्ति (अध्यापन सहायता) की दरों तथा विशेषज्ञ लेक्चर को 1000/– रू. प्रति घण्टा की दर से मानदेय दिये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा निदेशक (यूसीई) को यह निर्देश दिये जाने का निर्णय लिया कि निदेशक एम.टेक. के समस्त छात्रों का विषयवार, GATE Score & Non GATE Score का संख्यात्मक विवरण तैयार कर प्रस्तुत करेंगे एवं GATE छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली संस्था से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

वि.स.क्र. 4.9 : विश्वविद्यालय की विभिन्न प्राधिकारियों की बैठकों में देय मानदेय, अल्पाहार एवं स्टेशनरी की दरों में संशोधन करने हेतु।

प्रथम वित्त समिति के एजेन्डा आइटम नं. 1.8 के द्वारा लिये गये निर्णयानुसार राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की विभिन्न प्राधिकारियों की विभिन्न बैठकों में देय मानदेय, अल्पाहार एवं स्टेशनरी की दरों का निर्धारण कर निम्नानुसार भुगतान किया जा रहा है :–

क्र	प्राधिकारी	मानदेय	अल्पाहार	स्टेशनरी
1	प्रबन्ध बोर्ड	1000/-	–	–
2	विद्या परिषद	700/-	–	–
3	वित्त समिति	500/-	–	–
4	संकाय	400/-	15/-	35/-
5	अध्ययन बोर्ड	300/-	15/-	35/-
6	अन्य प्राधिकारी जिन्हें	300/-	15/-	35/-

परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय
के प्राधिकारी होना घोषित किया है।

अल्पाहार एवं स्टेशनरी की कीमतों में वृद्धि के कारण उक्त दरों में निम्नानुसार संशोधन प्रस्तुत किये गये :–

क्र	प्राधिकारी	मानदेय	अल्पाहार	स्टेशनरी
1	प्रबन्ध बोर्ड	1000/-	–	–
2	विद्या परिषद	700/-	–	–
3	वित्त समिति	500/-	–	–
4	संकाय	400/-	25/-	50/-
5	अध्ययन बोर्ड	300/-	25/-	50/-
6	अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया है।	300/-	25/-	50/-

विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों को उक्त मानदेय देय नहीं होगा।

अल्पाहार की दरें प्रति सदस्य है जिनमें सदस्य एवं व्यवस्था में लगे कार्यालय कर्मी शामिल होंगे। अल्पाहार की दरें द्वितीय सैशन होने पर 20/– रू. प्रति सदस्य अतिरिक्त होगी।

प्रथम तीन प्राधिकारी (मिटिंग) की स्टेशनरी, भोजन व्यवस्था पर व्यय माननीय कुलपति के निर्देशानुसार होगा शेष प्राधिकारियों की बैठक में 120/– रू. प्रति सदस्य भोजन व्यवस्था पर व्यय किया जा सकेगा। पूर्व में जारी आदेश परिशिष्ट 7 पृष्ठ संख्या 47 पर उपलब्ध कराया गया।

समिति ने यथा प्रस्तावित दरों का अनुमोदन किया।

वि.स.क्र. 4.10 : रामचन्द्र खेतान राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज, जयपुर में अतिथि गृह के निर्माण हेतु रू. 40 लाख के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु।

तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 23(12)त.शि.2006 दिनांक 10 जुलाई 2006 के निर्देशानुसार राजकीय रामचन्द्र खेतान पॉलिटक्निकल कॉलेज, जयपुर में गेस्ट हाउस एवं कॉन्फ्रेन्स हॉल के निर्माण हेतु रू. क्रमशः रू. 25 लाख एवं 15 लाख का भुगतान वित्तीय वर्ष 2006–07 में किया गया। महालेखाकार, राजस्थान जयपुर द्वारा इस सम्बन्ध में बिना बजट प्रावधान के भुगतान बाबत पैरा लिया गया है। इस सम्बन्ध में महालेखाकार के पैरा की प्रति परिशिष्ट

संख्या 8 पृष्ठ संख्या 48 से 50 पर उपलब्ध है। वर्ष 2006–07 में किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति ने इस बिन्दु पर विचार किया एवं यह निर्णय लिया कि अतिथि गृह एवं कॉन्फ्रेंस हॉल के निर्माण का लाभ/सुविधा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को मिल सके इस हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग से एक MOU किया जाये एवं MOU उपरान्त यह बिन्दु पुनः आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत किया जावे तथा इस हेतु ऑडिट पैरे की प्रति भेजते हुए विशेषाधिकारी तकनीकी शिक्षा विभाग को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 4.11: अकादमिक निरीक्षण हेतु दरें संशोधित करने के सम्बन्ध में।

तृतीय वित्त समिति के निर्णयानुसार सम्बन्धित कॉलेजों के निरीक्षण हेतु निम्न प्रकार से पारिश्रमिक एक अकादमिक वर्ष के लिए देय था :–

Programme	Session	No of Days	Remuneration/Member
Single	One	One	1000/-
Multiple	One	Two	1500/-

निरीक्षण प्रबन्ध मण्डल की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 24.11.2009 के एजेण्डा आइटम नं. 7 के निर्णयानुसार सम्बद्धता प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए शैक्षणिक वर्ष 2009–10 व 2010–11 का निरीक्षण एक ही निरीक्षण टीम द्वारा लगातार कराए जाने का निर्णय लिया है जिसके लिए निम्नानुसार दरें संशोधित किया जाना प्रस्तावित है :–

Programme	Session	No of Days	Remuneration/Member
Single	Two	One	1000/-
Single	Two	Two	1500/-
Multiple	Two	Two	1750/-
Multiple	Two	Three	2500/-

निदेशक (अकादमिक) के प्रस्ताव व निरीक्षण प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 24.11.2009 के निर्णय की प्रति समिति के सदस्यों के समक्ष परिशिष्ट 9 पृष्ठ संख्या 51 से 54 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति ने यथा प्रस्तावित दरें इस शर्त के अधीन अनुमोदित की कि बढी हुई दरों का लाभ तभी दिया जायेगा जब लम्बित वर्षो का निरीक्षण संयुक्त रूप से एक साथ ही किया जायेगा।

वि.स.क्र. 4.12: विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नये भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रथम चरण में कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक भवन एवं परीक्षा भवन का निर्माण पूर्व में हो चुका है। विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2008–09 में एम.बी.ए. तथा शैक्षणिक सत्र 2009–10 में एम.टेक. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है जिसके कारण द्वितीय चरण में रू. 23.65 लाख का भवन निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यो के निर्माण हेतु वर्ष 2010–11 में रू. 390 लाख का प्रावधान सम्पदा विभाग के बजट में किया जा चुका है। निर्माण कराये जाने वाले भवनों का क्षेत्रफल एवं निर्माण की अनुमानित लागत परिशिष्ट 10 पृष्ठ संख्या 55 से 56 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

वित्त समिति ने प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए बजट प्रावधानो का अनुमोदन किया एवं निर्देश दिये कि कार्य शुरू करने से पूर्व वित्तीय स्वीकृति माननीय कुलपति महोदय से पृथक से प्राप्त की जायेगी।

वि.स.क्र. 4.13: विश्वविद्यालय के संचित कोष के विनियोजन के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय परिसर में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा कार्यरत है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न राशियां (परीक्षा फीस, कोर्स फीस आदि) प्राप्त कर विश्वविद्यालय के खाते में जमा की जाती है तथा कर्मचारियों के वेतन भत्तों सहित विभिन्न संस्थाओं को जारी किये जाने वाले चैको का भुगतान भी किया जाता है जिसके लिए बैंक द्वारा बैंक ड्राफ्ट, चैक बुक आदि पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

पी.एन.बी. सर्किल ऑफिस, जयपुर के पत्र क्रमांक 1041 दिनांक 19.03.2009 के साथ एस. एल. बी. सी., राजस्थान के पत्र दिनांक 08.10.2008 की प्रति संलग्न की गई है जिसमें 60% राशि के पब्लिक सेक्टर बैंक में विनियोजन किये जाने का प्रावधान है।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि विश्वविद्यालय के संचित कोष की न्यूनतम 60% राशि पंजाब नेशनल बैंक में तथा शेष राशि दरें आमन्त्रित कर अधिकतम दर प्रदाता बैंक में विनियोजन किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

इस सम्बन्ध में पी.एन.बी. सर्किल ऑफिस, जयपुर के पत्र दिनांक 19.03.2009 के साथ वित्त मत्रांलय, भारत सरकार तथा एस.एल.बी.सी., राजस्थान के पत्र की प्रतियां परिशिष्ट 11 पृष्ठ संख्या 57 से 60 पर संलग्न किये गये।

समिति ने यह निर्देश दिये कि पंजाब नेशनल बैंक से एक MOU हस्ताक्षर किया जावे एवं MOU हस्ताक्षर होने तक इस बिन्दु को स्थगित रखा जावे।

वि.स.क्र. 4.14 : पाठ्यक्रम प्रारम्भ नहीं करने वाले महाविद्यालयों से सम्बद्धता शुल्क राशि में से प्रशासनिक व्यय की कटौती के सम्बन्ध में।

शैक्षणिक सत्र 2009–10 में महाविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता शुल्क 31 दिसम्बर 2009 तक जमा करा दिया गया था किन्तु अपरिहार्य कारणों से पाठ्यक्रम/महाविद्यालय प्रारम्भ नहीं किये गये ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराएं गए सम्बद्धता शुल्क वापसी से पूर्व सम्बद्धता शुल्क की 25% राशि की कटौती प्रशासनिक व्यय के रूप में करने का निर्णय निदेशक अकादमिक, कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी की कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया जिसे माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया। कमेटी के मिनिट्स की प्रति परिशिष्ट 12 पृष्ठ संख्या 61 से 62 पर वित्त समिति के सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया।

वि.स.क्र. 4.15: कम्प्यूटर क्रय के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय के संघटक कॉलेज अभियांत्रिकी महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर 432 छात्र अध्ययरत है। AICTE कमेटी के निर्देशानुसार 250 कम्प्यूटर की खरीद मैसर्स लेन्डमार्क इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली से डी.जी.एस. एण्ड डी. रेट कॉन्ट्रेक्ट पर क्रय किये गये है। कार्यादेश क्रमांक RTU/UCE/Pur/F/(9)15/Desktop Computers/2009-10 दिनांक 25-11-2009 राशि रू. 91,04,250/– समिति के सदस्यों के समक्ष परिशिष्ट 13 पर पृष्ठ संख्या 63 पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 4.16: फर्नीचर क्रय के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात विश्वविद्यालय के दैनिक कार्यो एवं परीक्षा सम्बन्धी रिकॉर्ड संधारण हेतु उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर की आवश्यकता महसूस की गई जिसके कारण राज्य सरकार को विश्वविद्यालय द्वारा मैसर्स गोदरेज कम्पनी से फर्नीचर क्रय करने की स्वीकृति मांगी गई। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3(2)त.शि./09 दिनांक 10.10.2009 द्वारा विशिष्ट मेक के फर्नीचर क्रय हेतु 80 लाख के क्रय की स्वीकृति जारी की गई जिसकी पालना में विश्वविद्यालय की

क्रय समिति की अनुशंषानुसार मैसर्स गोदरेज को क्रयादेश जारी किया जाना है। राज्य सरकार से विशिष्ट मेक के फर्नीचर क्रय हेतु प्राप्त स्वीकृति परिशिष्ट 14 पर पृष्ठ संख्या 64 से 65 पर समिति के सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 4.17: उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु समन्वयकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति की द्वितीय मिटिंग दिनांक 15.04.2009 के निर्णय की अनुपालना में कुलपति महोदय की स्वीकृति के उपरान्त आदेश संख्या F(27)3.32/SEC/RTU2009/780-88 दिनांक 02.05.2009 जारी किया गया जिसमें समन्वयकों एवं उनके सहयोगी स्टाफ को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की दरें तथा उनके द्वारा देरी की स्थिति में पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान है उक्त आदेश परिशिष्ट 15 पृष्ठ संख्या 66 से 69 पर वित्त समिति के सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

Table Agenda :-

समिति की बैठक के दौरान कुलसचिव द्वारा दो Table Agenda प्रस्तुत किये गये जो निम्न प्रकार है :–

टेबिल एजेण्डा वि.स. 4.1

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में मेनेजमेंट पाठयक्रम (स्ववित्त पोषित) हेतु पदों की स्वीकृति बाबत्।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रबन्ध संकाय में स्नातकोत्तर पाठयक्रम (स्ववित्त पोषित) वर्ष 2007 से प्रारम्भ किया गया है जिसमें 60 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान में अध्यापन की व्यवस्था गेस्ट फेकल्टी एवं अन्य कार्य आउट–सोर्सिंग के माध्यम से किये जा रहे हैं।

अध्यापन एवं अन्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार को निम्नांकित पदों के सृजन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार ने पत्रांक प.3(5)त.शि./2008 दिनांक 16 दिसम्बर 2008 में निर्देश प्रदान किए हैं कि प्रकरण को वित्त समिति/प्रबन्ध मण्डल में रखा जावे एवं तदनुसार कार्यवाही की जावे ।

1.	प्रोफेसर	2 पद
2.	एसो.प्रोफेसर	4 पद
3.	सहा. प्रोफेसर	12
4.	ट्रेनिंग / प्लेसमेंट अधि.	1 पद
5.	स्टेनो	1 पद
6.	लैब अटे.	2 पद
7.	सिस्टम एनेलिस्ट	1 पद
8.	वरिष्ठ लिपिक	1 पद
9.	कनिष्ठ लिपिक	1 पद

शिक्षकों के पदों की योग्यता एवं वेतनमान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के अनुरूप तथा अन्य गैर शैक्षणिक पदों की योग्यता एवं वेतनमान राज्य सरकार के अनुरूप होगी। इन पदों पर नियुक्ति पर होने वाले खर्चों को एम. .बी.ए. पाठयक्रम से प्राप्त शुल्क से वहन किया जावेगा ।

प्रकरण परिशिष्ट संख्या टेबिल एजेण्डा क्रमांक वि.स.क्र. 4.1.1 पर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा Table Agenda में वर्णित प्रस्ताव का अवलोकन कर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा एजेण्डा को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ रखने का निर्णय लिया गया।

<u>टेबिल एजेण्डा वि.स. 4.2</u>

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में आई.टी / इलैक्ट्रोनिक्स संकाय में (स्ववित्त पोषित) हेतु पदों की स्वीकृति बाबत्।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आई.टी / इलेक्ट्रोनिक्स संकाय में स्नातक पाठयक्रम (स्ववित्त पोषित) काफी समय से चल रहा है जिसमें 30–30 छात्र प्रतिवर्ष प्रत्येक संकाय में प्रवेश दिया जा रहा है। वर्तमान में अध्यापन की व्यवस्था गेस्ट फेकल्टी एवं अन्य कार्य आउट–सोर्सिंग के माध्यम से किये जा रहे हैं ।

अध्यापन एवं अन्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्नांकित पदों का सृजन अत्यन्त आवश्यक है ।

1.	प्रोफेसर	2 पद
2.	एसो.प्रोफेसर	2 पद
3.	सहा. प्रोफेसर	16 पद
4.	ट्रेनिंग / प्लेसमेंट अधि.	1 पद
5.	स्टेनो	1 पद

6.	तकनीशियन	5 पद
7.	लैब अटे.	2 पद
8.	कनिष्ठ लिपिक	1 पद

शिक्षकों के पदों की योग्यता एवं वेतनमान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली के अनुरूप तथा अन्य गैर शैक्षणिक पदों की योग्यता एवं वेतनमान राज्य सरकार के अनुरूप होगी। इन पदों पर नियुक्ति पर होने वाले खर्चों को आई.टी./इलैक्ट्रोनिक्स पाठ्यक्रम से प्राप्त शुल्क से वहन किया जावेगा ।

प्रकरण परिशिष्ट संख्या टेबिल एजेण्डा कमांक वि.स. क्र.4.1.2 पर अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा Table Agenda में वर्णित प्रस्ताव का अवलोकन कर सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा टेबल एजेण्डा में वर्णित पदों की नियुक्ति पर होने वाले खर्च को आई.टी/इलैक्ट्रोनिक्स संकाय पाठ्क्रम की आय से (स्ववित्त पोषित फीस) वहन करने एवं प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदनार्थ रखने का निर्णय लिया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(पदमचन्द) वित्त अधिकारी	(अचलेश्वर मीणा) वित्तीय सलाहकार सी.ए.डी., कोटा।	(डॉ. पी.एल.अग्रवाल) कुलपति

(अम्बरीश मेहता) कुलसचिव	(आर.के. गुप्ता) विशेषाधिकारी तकनीकी शिक्षा, जयपुर।	(प्रो. डी एम मेहता) प्रतिकुलपति	(प्रो. अनिल के. माथुर) परीक्षा नियन्त्रक